[illegible] ... सुनीता ... 105/2022

दिनांक	आज्ञा पत्र
14.5.24	पत्रावली पेश। [illegible] वास्ते बहस दिनांक 3.6.24 को पेश हो।
3.6.24	पत्रावली पेश। [illegible] उभय पक्ष [illegible] वास्ते बहस दिनांक 20.6.24 को पेश हो।
20.6.24	पत्रावली पेश। [illegible] उभय पक्ष [illegible] वास्ते बहस दिनांक 4.7.24 को पेश हो।
4.7.24	पत्रावली पेश। बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 19.7.24 को पेश हो।
	पत्रावील पेश । अपील अपीलांट........खारिज........ की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 105 / 2022

1 ओमप्रकाश पुत्र भागीरथ जाति मीणा निवासी पुराना बास तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

अपीलांट

बनाम

1 सुनिता बेवाह राकेश कुमार पुत्र हरफूल
2 मोहित पुत्र राकेश कुमार
3 रोहित पुत्र राकेश कुमार
4 विजय लक्ष्मी पुत्री राकेश कुमार
5 मुकेश कुमार पुत्र हरफूल
6 सुनिल पुत्र हरफूल
7 पिन्टू पुत्र हरफूल
8 बुधराम पुत्र हरफूल
9 माया देवी पुत्री हरफूल
10 मंजू देवी पुत्री हरफूल
11 संजू देवी पुत्री हरफूल
12 उजाला पुत्री हरफूल
13 रामकुमार पुत्र रामेश्वर
14 रामावतार पुत्र रामेश्वर
15 शिशराम पुत्र रामेश्वर
16 राजहंस पुत्र रामेश्वर
17 गीता देवी पुत्री रामेश्वर
18 सन्ती देवी पुत्री रामेश्वर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

समस्त जाति मीणा निवासीगण पुराना बास तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

19 तहसीलदार महोदय नीमकाथाना जिला सीकर।

20 भागोती बेवाह भागीरथ

21 सहीराम पुत्र भागीरथ

22 विजय कुमार पुत्र राजेन्द्र पुत्र भागीरथ

23 सुमित्रा पुत्री भागीरथ

24 सुप्यार पुत्री भागीरथ

25 सुशीला पुत्री भागीरथ

समस्त जाति मीणा निवासीगण पुराना बास तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 30.11.2007 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना प्रकरण अनुवानी हरफूल बनाम रामकुमार आदि मु.नं. 120/2006 अपील अन्तर्गत धारा 223 आरटीएक्ट

उपस्थिति :

1. श्री सागरमल धायल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री नरेश कुमार शर्मा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
3. श्री सुशीला जाखड़, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
4. श्री भागीरथमल जाखड़, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी,
सीकर

—निर्णय—

दिनांक 13/7/24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना द्वारा मुकदमा 09/2020 में पारित निर्णय दिनांक 31.05.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 12 के पूर्वज हरफूल ने विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना के यहां दावा इस आशय का प्रस्तुत किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 292, 293, 310 कुल किता 3 कुल रकबा 3.95 हैक्टेयर तन ग्राम पुराना बास तहसील नीमकाथाना जिला सीकर स्थित है जो वरवक्त सैटलमेन्ट वादी का दादा खत्म हो गया था उक्त भूमि के 1/2 भाग की भूमि रामेश्वर, भागीरथ व मोठूराम काश्त करते थे तथा गंगूराम को अन्य भूमि दे दी रामेश्वर ने अकेले सम्पूर्ण भूमि अपने नाम अंकित करवा ली तथा भागीरथ ने बाला बाला दावा कर 1/4 भाग की भूमि अपने नाम करवा ली आदि तथ्य अंकित करते हुए वाद प्रस्तुत किया जिसकी अपीलांट के पिता भागीरथ पर नियमानुसार तामील हुए बिना व उसे कोई नोटिस व सूचना दिए बिना ही सम्मन पर भागीरथ के जयपुर जाने का तामिल कुनिन्दा ने अंकन अपनी रिपोर्ट में किया व वादी के मिलने वाले दो व्यक्तियों की उपस्थिति अंकित कर दी जबकि मृतक भागीरथ काफी समय जयपुर व कुछ समय गांव में रहता आया। विचारण न्यायालय ने अपीलांट के पिता के पक्ष में सक्षम न्यायालय की डिक्री से खातेदारी अंकित हुई व प्रोपर तामील करवाये बिना तथा मृतक भागीरथ को अपना कथन व सबूत प्रस्तुत करने का मौका दिए बिना तथा पत्रावली पर पैत्रिक भूमि होने का कोई प्रमाण न होते हुए बिना सुरजा के सभी वारिसान को पक्षकार बनाये ही विचारण न्यायालय ने मृतक हरफूल पूर्वज रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 12 का दावा विधि विरूद्ध अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 30.11.2007 को डिक्री फरमा दिया।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 292, 293, 310 कुल किता 3 कुल रकबा 3.95 हैक्टेयर तन ग्राम पुरानाबास तहसील नीमकाथाना जिला सीकर पर मृतक हरफूल व उसके वारिसान/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 12 का विवादित आराजी के किसी भाग पर कोई कब्जा व अधिकार नहीं है विवादित आराजी के 1/4 भाग पर अपीलांट व मृतक भागीरथ के अन्य वारिसान रेस्पोडेन्ट संख्या 20 लगायत 25 काबिज है तथा 1/4 भाग पर मृतक रामेश्वर के वारिसान रेस्पोडेन्ट संख्या 13 लगायत 18 काबिज है शेष 1/2 भाग पर अन्य सहकृषक पोपा व टोडा के वारिसान काबिज है। विचारण न्यायालय में ऐसा कोई दस्तावेजी सबूत पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं हुआ जिससे मृतक वादी हरफूल का कब्जा काश्त साबित है। मृतक हरफूल ने विवादित आराजी को पैत्रिक भूमि बताते हुए वाद प्रस्तुत किया है लेकिन विचारण न्यायालय में पैत्रिक भूमि होने का कोई दस्तावेजी सबूत पत्रावली पर न तो प्रस्तुत हुआ है ना ही प्रदर्शित करवाया है फिर भी विचारण न्यायालय ने मृतक हरफूल का वाद विवादित भूमि को पैत्रिक मानकर डिक्री करने में गलती की है मृतक भागीरथ को अपना कथन व सबूत प्रस्तुत करने का मौका भी नहीं दिया। मृतक हरफूल ने विवादित भूमि खसरा नम्बर 347 जो अन्य वाद का विषय है से तो वक्त बुजुर्गों से अकेले काश्त करते आना बताया है व विवादित भूमि को पैत्रिक सुरजा पूर्वज के समय से काश्त करना बताया है मृतक हरफूल ने अलग-अलग कथन किए है। अपीलांट के पिता मृतक भागीरथ के हक में विवादित आराजियात खसरा नम्बर 292, 293, 310 के संबंध में वाद उनवानी भागीरथ बनाम रामेश्वर आदि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना मु.नं. 24/1996 प्रस्तुत होने पर दिनांक 30.06.2000 को मृतक भागीरथ के हक में डिक्री हुआ है निर्णय व डिक्री दिनांक 30.06.2000 के कायम रहते मृतक

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

हरफूल का वाद कानूनन चलने योग्य ही नही था यदि मृतक हरफूल को कोई आपत्ति होती तो वह निर्णय दिनांक 30.06.2000 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर सकता था। मृतक वादी ने अपने वाद में विवादित आराजी को मृतक सुरजा से प्राप्त होना बताया है लेकिन अपने वाद मे सुरजा के पुत्र गंगूराम अथवा उसके वारिसानको व मोठूराम के पुत्रगण श्रवण व रामकिशोर को पक्षकार नहीं बनाया ना ही अपने वाद में उन्हें अन्य कौनसी भूमियां दी गयी उनका वर्णन किया अतः जब विवादित भूमियों को मृतक पैत्रिक बताता है तो सभी को दावे में पक्षकार बनाता यदि अन्य भूमि दी जाती है तो उसका उल्लेख व जमाबंदी आदि प्रस्तुत करता न तो वादी ने मृतक सुरजा के सभी वारिसान को पक्षकार बनाया न उन्हें अन्य भूमि दी उसका उल्लेख किया। विचारण न्यायालय से मृतक भागीरथ को सभी कोई सम्मन/नोटिस नहीं मिला मृतक वादी हरफूल ने तामील कुनिन्दा से साज कर अपने दो व्यक्तियों की साक्षी करवा दी व नोटिस चस्पा का अंकन सम्मन पर करवा दिया जबकि तामिल कुनिन्दा मृतक भागीरथ के घर गया तो घर पर कौन मिला व मृतक भागीरथ अस्थायी रूप से बाहर गया हुआ था या लम्बे समय से बाहर जयपुर अपने मकान में रह रहा था, कुछ भी रिपोर्ट में अंकित नहीं किया न मृतक भागीरथ के घर के न्य व्यस्क सदस्य को नोटिस देने का प्रयास किया न ऐसा कोई नोटिस पर नोट अंकित है। प्रतिवादी भागीरथ का देहान्त दिनांक 29.07.2022 को हो गया जिस पर अपीलांट व परिवार ने उनके धार्मिक क्रियाकर्म आदि पूर्ण कर दिनांक 10.08.2022 को अपीलांट जो पूर्व में सरकारी नौकरी में रहे है पटवारी हल्का से मृतक भागीरथ की विरासत का नामान्तकरण खुलवाने हेतु सम्पर्क किया तो पटवारी हल्का ने मृतक हरफूल के वारिसान के हक में खातेदारी दर्ज होने का तथ्य बताया जिस पर अपीलांट विचारण न्यायालय में जानकारी कर समस्त नकले प्राप्त की व फिगर एक्सपर्ट से मृतक भागीरथ के हस्ताक्षरों का मिलान करवाया तो सारे फर्जीवाडे की जानकारी हुई इससे पूर्व अपीलांट को निर्णय व डिक्री जेर अपील की कोई जानकारी कभी नहीं रही जानकारी के रोज से अपील अंदर मियाद है अपीलांट के हितो की रक्षा के लिए एवं

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

सही निर्णय व न्याय के लिए अपीलांट को मियाद का फायदा दिया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है मियाद का फायदा दिए जाने हेतु आवेदन धारा 5 कानून मियाद मय शपथ पत्र प्रस्तुत है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में अपीलांट अपीलांट औमप्रकाश प्रतिवादी संख्या 6 भागीरथ का पुत्र है। विचारण न्यायालय में भागीरथ की सम्यक तामील के उपरांत दिनांक 10.08.2006 को अपीलांट के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध विधि अनुसार एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली में प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिक्री किया है। अपीलांट की अपील 15 साल के असाधारण विलम्ब से प्रस्तुत की गई है। विलम्ब का दिन प्रतिदिन का संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया गया है। अपीलांट धारा 5 का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कंडोन किया जाता है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है विचारण न्यायालय में अपीलांट के पिता प्रतिवादी संख्या 8 भागीरथ के नाम जारी नोटिस दिनांक 28.07.2006 जो दिनांक 10.08.2006 के लिए जारी किया गया है, की पुश्त पर तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट है कि भागीरथ बच्चो सहित जयपुर रहता है। ऐसी स्थिति में इस रिपोर्ट के आधार पर भागीरथ की सम्यक तामील मानकर विचारण न्यायालय द्वारा की गई एकपक्षीय कार्यवाही विधि सम्मत नहीं मानी जा सकती है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

यहां यह भी विचारणीय है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट द्वारा वाद के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। मृतक हरफूल ने विवादित आराजी को पैत्रिक भूमि बताते हुए वाद प्रस्तुत किया है लेकिन विचारण न्यायालय में पैत्रिक भूमि होने का कोई दस्तावेजी सबूत पत्रावली पर न तो प्रस्तुत हुआ है ना ही प्रदर्शित करवाया है फिर भी विचारण न्यायालय ने मृतक हरफूल का वाद विवादित भूमि को पैत्रिक मानकर डिक्री करने में गलती की है मृतक भागीरथ को अपना कथन व सबूत प्रस्तुत करने का मौका भी नहीं दिया। मृतक हरफूल ने विवादित भूमि खसरा नम्बर 347 जो अन्य वाद का विषय है से तो वक्त बुजुर्गो से अकेले काश्त करते आना बताया है व विवादित भूमि को पैत्रिक सुरजा पूर्वज के समय से काश्त करना बताया है मृतक हरफूल ने अलग–अलग कथन किए है। अपीलांट के पिता मृतक भागीरथ के हक में विवादित आराजियात खसरा नम्बर 292, 293, 310 के संबंध में वाद उनवानी भागीरथ बनाम रामेश्वर आदि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना मु.नं. 24/1996 प्रस्तुत होने पर दिनांक 30.06.2000 को मृतक भागीरथ के हक में डिक्री हुआ है निर्णय व डिक्री दिनांक 30.06.2000 के कायम रहते मृतक हरफूल का वाद कानूनन चलने योग्य ही नही था यदि मृतक हरफूल को कोई आपत्ति होती तो वह निर्णय दिनांक 30.06.2000 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर सकता था। मृतक वादी ने अपने वाद में विवादित आराजी को मृतक सुरजा से प्राप्त होना बताया है लेकिन अपने वाद मे सुरजा के पुत्र गंगूराम अथवा उसके वारिसानको व मोठूराम के पुत्रगण श्रवण व रामकिशोर को पक्षकार नहीं बनाया ना ही अपने वाद में उन्हें अन्य कौनसी भूमियां दी गयी उनका वर्णन किया अतः जब विवादित भूमियों को मृतक पैत्रिक बताता है तो सभी को दावे में पक्षकार बनाता यदि अन्य भूमि दी जाती है तो उसका उल्लेख व जमाबंदी आदि प्रस्तुत करता न तो वादी ने मृतक सुरजा के सभी वारिसान को पक्षकार बनाया न उन्हें अन्य भूमि दी उसका उल्लेख किया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को जवाबदेही का अवसर प्रदान कर तनकी कायम कर साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.07.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 19.7.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू-प्रबंध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर